TWENTY RUPEES

(1)

निगरानी प्रकरण कमांक : .... / 2017

पेशी दिनांक : .... / 07 / 2017

इंदौर 5515

मानननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ~~ग्वालियर~~ के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/2954

आर.सी.वेयरहाउसिंग प्रायवेट लिमिटेड
(पुराना नाम राधेश्वरी डेवलपर्स लिमिटेड)
तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बी.जी. दीक्षित
पिता श्री गोवर्धन जी दीक्षित
पता : 1–ए, रूपायतन अपार्टमेंट,
31 / 4 , न्यू पलासिया, इंदौर (म.प्र.) ... प्रार्थी

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 31-07-2017
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

527
31.07.2017

1. मध्य प्रदेश शासन
तर्फे अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, सांवेर जिला इंदौर (म.प्र.)

2. श्रीमान् नायब तहसीलदार
टप्पा क्षिप्रा,
जिला इंदौर (म.प्र.) ... प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 51 म. प्र. भू राजस्व संहिता

वर्तमान निगरानी प्रार्थी द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सांवेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 / 01 / 2016 कमांक 802 / 2015 व आदेश दिनांक 24 / 02 / 2016 प्रकरण कमांक 124अ / 2015–16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है जिसमें माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवेध आदेश पारित कर नायब तहसीलदार को यह निर्देशित किया गया कि प्रार्थी की मालिकी की भूमि का नामांतरण न किया जावे ओर इस आदेश के तारतम्य में माननीय नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर प्रार्थी का नामांतरण प्रकरण निरस्त किया गया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(117)

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/2954

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–9–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी क आदेश दिनांक 15–1–16 एवं 24–2–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 31–7–17 को लगभग 1 वर्ष 4 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आवेदक को वादग्रस्त आदेश की जानकारी नहीं होना बताया गया है एवं जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल सत्यप्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, तब उन्हें दिनांक 24–2–16 के आदेश की सत्यप्रतिलिप प्राप्त हुई, उस समय जानकारी हुई कि प्रकरण दिनांक 15–1–16 को निरस्त किया गया है । उसके पश्चात कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दीक्षित बीमार हो गये, इसलिए निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी समय बाह्य होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	